न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2015/00033

1. हेमराज आत्मज कल्याण जाति मेघवाल निवासी ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
2. हंसराज आत्मज कल्याण जाति मेघवाल निवासी ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
3. धनराज आत्मज कल्याण जाति मेघवाल निवासी ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
4. बरजीबाई बेवा कल्याण जाति मेघवाल निवासी ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. मोडूलाल आत्मज जगन्नया उर्फ जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।(मृतक) जरिये कायम मुकामान–
   1/1. ओमप्रकाश आत्मज मोडूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
   1/2. महावीर आत्मज मोडूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
   1/3. लक्ष्मीनारायण आत्मज मोडूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
   1/4. कैलाशबाई बेवा मोडूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
2. गोपाल आत्मज मथुरा लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
3. बाबूलाल आत्मज मथुरा लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
4. मोडूलाल आत्मज देवा जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
5. भैरूलाल आत्मज देवा जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
6. राजेन्द्र आत्मज देवा जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

7. बाबूलाल आत्मज मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सोली तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
8. रामपाल आत्मज बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
9. देवबाई पत्नी किशोर जाति मेघवाल निवासी ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). नरेन्द्र नन्दवाना– अधिवक्ता अपीलांट
(2). ओमप्रकाश मेघवाल– अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1, 1/2, 1/4
(3). राजेन्द्र कुमार– अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4, 5
(4). घनश्याम नागर– अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9

निर्णय **दिनांक 29.08.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 47/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद में खाता नम्बर 139 पर निम्न विवरण की कृषि भूमियों स्थित चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 पेश है। खसरा नं० 172 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नं0 189 रकबा 1.80 ट्रैक्टर, खसरा नं० 201 रकबा 2.22 हैक्टर ,खसरा नं० 235 रकबा 129 हैक्टर, खसरा नं0 745 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 865 रकबा 1.14 हैक्टर कुल 6 किता की 8.30 हेक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी 1 व 2 के पिता मथुरा व प्रतिवादी नं0 3 ता 5 के पिता देवा तथा धूली बेवा जगन्या हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं0 6 के पिता मांगीलाल व प्रतिवादी नं० 17 के पिता विरधीलाल तथा प्रतिवादी नं0 ठ ता 11 हिस्सा 1/3 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि शामलाती खाते कब्जे काश्त में चली आ रही है। तथा धूली बेवा जगन्या की मृत्यु हो चुकी है तथा हिस्सा भूमि पर भी प्रार्थी काबिज–काश्त है। उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी नं0 8 ता 11 ने अपने 1/3 हिस्से मे से खसरा नम्बर 172 की 0–65 हेक्टर व खसरा नम्बर 189 की 180 हेक्टर कुल दो किता की 2–45 हेक्टर भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान कर लिया है इस कारण प्रतिवादी नं0 12 का उक्त दोनों भूमि में 1 / 3 हिस्सा है। इस भूमि में प्रतिवादी नं0 8 ता 11 का कोई हिस्सा नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में वर्णित

भूमियों में वादी व प्रतिवादी नं० 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है और सम्पूर्ण भूमि में वादी का 1/ 9 हिस्सा है और अपने 1 / 9 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण आये दिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कडता लगान जमा करने में विवाद व झगड़ा होने लग गया है। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से उपरोक्त भूमि का विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे में दखल पैदा करते है ओर बंटवारा की कहने पर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 5–6–2009 को प्रतिवादीगण ने वादी को कहा कि वे बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त भूमि के हिस्से को बेचान व खुर्द बुर्द कर देगे। जबकि प्रतिवादीगण को बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी उपरोक्त भूमि के 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से का यानी सम्पूर्ण भूमि में से 1/9 हिस्से का खातेदार है। इस कारण वादी के लिये उपरोक्त भूमि का विभाजन कराना व प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से उक्त अवैध कृत्य करने से रोका जाना आवश्यक हो गया है। यदि उक्त भूमि का बंटवारा किये बिना ही प्रतिपक्षीगण ने उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान कर दिया गया व प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा । प्रार्थी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जाये कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थी को ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद की खाता नम्बर 139 पर खसरा नं0 172 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नं0 189 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नं0 201 रकबा 2.22 हैक्टर, खसरा नं० 235 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नं0 745 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 865 रकबा 1.14 हैक्टर, कुल 6 किता की 8.30 हेक्टर भूमि में से 1/9 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे, काश्त करने से नहीं रोके ओर उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 8 से 12 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 28.01.2015 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय 28.01.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 8 से 12 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब

किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1/1, 1/2, 1/4, 4, 5, 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से नोट प्रेस किया तथा बहस नहीं की। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत कर अंतिम बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 53 राज0 टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद मे इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि अपीलान्गण की खातेदारी की एवं पैतृक सम्पत्तियों वाके ग्राम पडासलिया, मण्डावरी, सोली में स्थित है, तथा अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण के मध्य पारिवारिक विभाजन पूर्व में दी आपसी सहमति के हो चुका था तथा मुताबिक पारिवारिक सजरे के अनुसार लाल्या जी के 3 वारिस थे, देवया रोड्या, गोरया तथा मुताबिक मौखिक विभाजन के अनुसार देवया को ग्राम सोलो की तथा रोड्या को ग्राम मंडावरी की तथा गौर्या जी को ग्राम पडासलिया की जमीन दी गई थी तथा उसके अनुसार ही काबिज काश्त चले जा रहे है। तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के द्वारा एक अन्य वाद मोडू लाल बनाम बाबू लाल वगैरह न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद मे प्रस्तुत कर दिया गया। तथा उक्त वाद दिनांक– 17.07.2012 को कन्सोलीडेट करते हुए मुख्य वाद हेमराज बनाम देवा वगैरह मे समेकित कर दिया गया । तथा उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनाक 28.01.2015 को खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2015 जैर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं को अनदेखी करते हुए प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 172 की रकबा 0.65 हैक्टयर खसरा नम्बर 189 की 1.80 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 201 की रकबा 2.22 हैक्टेयर ख.न. 235 की रकबा 1.29 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 745 की रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 865 की रकबा 1.16 हेक्टेयर भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 8.30 हेक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है ।तथा वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड के अनुसार 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्टगण का करीबन 100 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त चला जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया तथा आनन फानन मे ही आदेश पारित कर दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। अपीलान्टगण के द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में यह साफ उल्लेख किया गया था कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य पारिवारिक बंटवारा पूर्व मे ही हो चुका था तथा मुताबिक पारिवारिक बंटवारे के अनुसार रोड्या के वारिसानो को ग्राम मण्डावरी का हिस्सा एवं देव्या के वारिसानो को ग्राम सोनी का हिस्सा तथा गोरया के वारिसानो यानि

अपीलान्टगण को ग्राम पडासलिया का हिस्सा दिया गया था । उसी के अनुसार मौके पर का काश्त करते चले आ रहे है तथा रेस्पो० के मन मे बदनियति जा जाने के कारण उक्त आराजी को खुर्द बुर्द बेचान करने पर आमादा है। इस कारण माननीय में उक्त अपील पेश करना आवश्यक हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तीनो बिन्दुओं पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नही किया और न ही किसी भी प्रकार की कोई फाईंडिंग दी गई। अपीलांटगण का ग्राम पडासलिया की भूमि में काफी लम्बे समय से कब्जा काश्त होने के कारण प्रथमदृष्टया मामला तथा सुविधा का सन्तुलन एवं व अपूर्णनीय क्षति भी अपीलांट के हो पक्ष मे निहित है, क्योंकि ग्राम पडासलिया की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा रेस्पोडेन्टगण का नहीं है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है । अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने तथा अपीलान्ट के पक्ष में एवं रेस्पोडेन्टतगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया कि ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज में स्थित खाता नम्बर 139 की खसरा नं0 172 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नं0 189 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नं0 201 रकबा 2.22 हैक्टर, खसरा नं० 235 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नं0 745 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 865 रकबा 1.14 हैक्टर, कुल 6 किता की रकबा 8.30 हेक्टर भूमि में से 1/9 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करे तथा उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द बेचान रहन आदि नहीं करे और न ही अन्तरण करें तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से कराये ।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण के परिवार के मूलपुरूष लाल्या जी थे जिनके तीन पुत्र देव्या, रोड्या, गोरिया हुए। लाल्या जी के तीन अलग–अलग गावों पडासलिया, सोलो, मंडावरी में जमीन थी। गोरिया के पुत्र कल्याण के वारिसान की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है। कल्याण के वारिसान द्वारा ग्राम पड़ासली के हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को विकय की गई। उक्त विकय के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 स्वयं की कयशुदा आराजी में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के पक्ष में हे। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 का स्वयं की कयशुदा भूमि पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के पक्ष में है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 का कब्जा काश्त होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के पक्ष है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/4 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2015 को यथावत रखते जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मूल प्रश्न ग्राम पड़ासलिया की आराजी को लेकर है, जिसके संबंध में अपीलांट प्रार्थीगण ने प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा है। हमने पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । स्वयं अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत ग्राम पड़ासलिया की जमाबंदी संवत 2061 से 2064 के नया खाता संख्या 139 से स्पष्ट है कि वर्तमान मे राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम पड़ासलिया की आराजी अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 9 (स्वयं अथवा उनके पूर्वज) की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। एक सहखातेदार का सहखातेदारी की प्रत्येक इंच की भूमि पर कब्जा काश्त व खातेदार होना माना जाता है। एक सहखातेदार को दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2015 विधि सम्मत हे तथा उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य हे।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 47/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2015 यथावत जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 19.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा